



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह। (जिला समाज कल्याण शाखा)

दूरभाष संख्या :- 06532-356321

ई-मेल :- dswgiridih2122@gmail.com

वन स्टॉप सेन्टर, गिरिडीह में विभिन्न पदों के विरुद्ध सेवाएँ प्राप्त करने हेतु विज्ञापन।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन स्टॉप सेन्टर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को वन स्टॉप सेन्टर में एक छत के नीचे पुलिस सहायता, कानूनी सहायता एवं परामर्श, चिकित्सा सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है।

गिरिडीह जिले में इस योजनान्तर्गत एक वन स्टॉप सेन्टर स्थापित किया गया है। गिरिडीह जिले के वन स्टॉप सेन्टर में विभिन्न सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये व्यक्तिगत अर्हता प्राप्त सेवा प्रदाताओं को अनुबंधित करने हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से निम्नांकित विवरणानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र 0	सेवा प्रदाता	कुल पद	आरक्षण रोस्टर	समेकित मासिक परिलब्धि	निर्धारित अर्हता
1	केन्द्र प्रशासक (केवल महिलाओं के लिए)	01	अनारक्षित-01	रु0 30,000/-	<u>शैक्षणिक योग्यता :-</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर/किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक। <u>आवश्यक कार्य अनुभव :-</u> किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्था/परियोजना में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव। <u>वांछित कार्य अनुभव :-</u> किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्था/परियोजना में परामर्श दाता के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 01 वर्ष का कार्य अनुभव।
2	केस वर्कर (केवल महिलाओं के लिए)	02	अनारक्षित-01 अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01	रु0 20,000/-	<u>शैक्षणिक योग्यता :-</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर/किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक। <u>आवश्यक कार्य अनुभव :-</u> किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्था/परियोजना में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।
3	परामर्श दाता (केवल महिलाओं के लिए)	01	अनारक्षित-01	रु0 25,000/-	<u>शैक्षणिक योग्यता :-</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य/नैदानिक मनोविज्ञान (Clinical Psychology) में स्नातकोत्तर। <u>आवश्यक कार्य अनुभव :-</u> राज्य स्तरीय इकाई/जिला स्तरीय क्लिनिक या किसी प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य संस्था में परामर्श दाता/मनोचिकित्सक के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।
4	इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर (महिला/पुरुष के लिए)	01	अनारक्षित-01	रु0 25,000/-	<u>शैक्षणिक योग्यता :-</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक। <u>आवश्यक कार्य अनुभव :-</u> राज्य स्तरीय /जिला स्तरीय/गैर सरकारी संस्था या सूचना प्रौद्योगिकी आधारित संस्था में Data Management/Process Documentation, Web Based Reporting Formats एवं Video Conference विषयों पर कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।
5	सिक्युरिटी गार्ड (महिलाओं/पुरुषों के लिए)	01	अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01	रु0 10,000/-	<u>शैक्षणिक योग्यता :-</u> किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण। <u>आवश्यक कार्य अनुभव :-</u> राज्य/जिला स्तर के सरकारी या प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।


15/

आवेदन हेतु निर्देश :-


1. आवेदन विहित प्रपत्र में **Online** वेबसाइट www.recruitment.jharkhand.gov.in पर समर्पित करेंगे।
2. ऑनलाईन आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों, अनुभव प्रमाण-पत्रों की पठनीय प्रतियाँ स्व-अभिप्रमाणित कर **upload** किया जाना अनिवार्य है।
3. बिंदु-2 में अंकित प्रमाण-पत्रों में से यदि कोई प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न नहीं है, तो इसका लाभ अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा, यद्यपि **online** आवेदन के विहित-प्रपत्र में इसे अंकित किया भी गया हो।
4. शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत मैट्रिक से प्रारंभ कर अद्यतन योग्यता अंकित की जाये एवं संबंधित प्रमाण-पत्र, यथा: बिंदु-2 **upload** किये जाये।
5. कार्य-अनुभव के लिए नियोक्ता (**Employer**) के द्वारा निर्गत एवं हस्ताक्षरित पत्र/प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। तदनुसार कार्य-अनुभव से संबंधित पत्र/प्रमाण-पत्र की प्रतियाँ यथा: बिंदु-2, **upload** किये जाये।
6. सेवाओं के लिये योगदान की तिथि से यह अनुबंध 01 वर्ष के लिए होगा, तत्पश्चात सेवा अवधि का विस्तार सेवा प्रदाता के संतोषप्रद कार्य प्रदर्शन तथा योजनान्तर्गत कार्य की आवश्यकता के आधार पर की जायेगी।
7. व्यक्तिगत सेवा प्रदाता द्वारा **online** आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि **08/01/24** है।
8. उक्त सभी पदों हेतु आयु के लिए **Cut off date 01.01.2020** होगा।
9. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 29, दिनांक 04.01.2021 एवं विशेष सचिव एवं परियोजना निदेशक, झारखण्ड महिला विकास समिति, राँची के पत्रांक 109, दिनांक 30.07.2021 के आलोक में आवेदन हेतु अधिकतम उम्रसीमा को निम्नवत निर्धारित किया गया है :-

क्र०	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
2	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	35 वर्ष	45 वर्ष

10. भूतपूर्व सैनिकों को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट।
11. संविदा पर नियुक्ति के पूर्व ही संविदा की शर्तों का निर्धारण कर लिया जाय। प्रथम चरण में अधिक-से-अधिक एक वर्ष के लिए ही ऐसी नियुक्ति की जायेगी।
12. संविदा राशि :- संविदा पर नियुक्ति सामान्य रूप से पूर्ण कालिक तौर पर की जायेगी और जिस पद पर नियुक्ति की जा रही है, उसके लिए स्वीकृत वेतनमान के प्रारम्भिक प्रक्रम पर ही वेतन देय होगा। अंशकालीन नियुक्ति की स्थिति में राशि का निर्धारण कार्य की प्रकृति, कार्य की गुणवत्ता आदि को देखते हुए सरकार के द्वारा की जायेगी। वेतनमान के प्रारम्भिक प्रक्रम से अधिक या अतिविशिष्ट कार्यों के सम्पादन हेतु नियुक्ति की स्थिति में राशि निर्धारण वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की पूर्व सहमति से किया जायेगा।
13. संविदा पर नियुक्त कर्मियों को नियत वेतन अनुमान्य होगा। नियत वेतन के अलावे किसी प्रकार का भत्ता यथा महँगाई भत्ता, मकान भाड़ा, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता आदि अनुमान्य नहीं होगा, परन्तु सरकारी कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली के प्रावधानों के तहत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
14. संविदा पर नियुक्ति कर्मियों पेंशन संबंधी फायदे का हकदार नहीं होगा। परन्तु राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू नियम के अनुसार चिकित्सीय सुविधा का हकदार होगा।
15. संविदा पर नियुक्त कर्मियों को कैलेण्डर वर्ष के लिये राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे अन्य किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे।
16. संविदा पर नियुक्त कर्मियों का पद स्थानान्तरणीय नहीं होगा।
17. संविदा पर नियुक्त कर्मियों के लिए राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगा।
18. संविदा पर नियुक्ति सीधी भरती के द्वारा चयन द्वारा की जाएगी।
19. संविदा पर नियुक्ति के लिए योग्यता, प्रशिक्षण अनुभव आदि वही रहेगा, जो भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली के अनुसार पद विशेष के लिए निर्धारित है। परन्तु परिस्थिति विशेष में राज्य सरकार पात्रता की शर्तों को शिथिल कर सकती है।


उपायुक्त
गिरिडीह।

- ज्ञापांक-**1491** स०क०, गिरिडीह, दिनांक-**03/12/2023**
- प्रतिलिपि:- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आप अपने स्तर से दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आप अपने स्तर से विज्ञापन से संबंधित विवरणी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप को जिला के पोर्टल www.giridih.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:- **ISD, JAP-IT** झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त विज्ञापन से संबंधित विवरणी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप को **JAP-IT** के आधिकारिक वेबसाइट www.recruitment.jharkhand.gov.in पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि:- विशेष सचिव एवं परियोजना निदेशक, झारखण्ड महिला विकास समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त,
गिरिडीह।